कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(i) कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48(2) के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा पूर्वाकेक्षण के आधार पर किया गया है।

(ii) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कार्यरत्त रहेः—

क्रमांक	नाम	पद	अवधि
1	श्री वेद प्रकाश शर्मा	अध्यक्ष	01.4.2012 से 31.12.12
2	श्री देवेश कुमार उपायुक्त मण्डी	अध्यक्ष	31.12.12 से 31.03.13
3	श्री दिनेश ठाकुर	सचिव	01.04.12 से 11.05.12
4	श्री नेत्र सिंह ठाकुर	सचिव	12.05.12 से 31.03.13

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

विपणन समिति मण्डी (कांगणी) जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.12 से 31.3.13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	4 (iv)	1.45
2	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के प्रस्तुत न करना	5	71.92
3	दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु शेष	6	12.46
4	अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	7	0.80
5	अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों के विपरीत दण्ड मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	9	4.07

(v) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी स्थित (कांगणी) ज़िला मण्डी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्मिलित पैरों का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है जिसके अनुसार अवधि 3/2013 तक 43 पैरे अनिर्णीत पैरे शेष थे। अतः अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु यथाशीध्र उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(iii) आय व व्यय के मुख्य साधनः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) जिला मण्डी के आय के मुख्य साधन (स्त्रोत) व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियां, दुकानों का किराया, जमा राशियों पर अर्जित ब्याज व दण्ड शुल्क इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा स्थापना, निर्माण कार्यों, गाड़ियों के रख–रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण , मानदेय यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, इत्यादि मुख्य मदों पर व्यय किया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) के अवधि 1.4.2012 से 31.3.13 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री रामलाल अनुभाग अधिकारी तथा श्री विजय कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को समिति के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना एवं सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

कृषि उपज मण्डी समिति मण्डी (स्थित कांगणी) के वर्ष 2012–13 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1335549/– आंका गया है जिसे समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट को–ओपरेटिव बैंक ड्राफ्ट संख्या 2224304 दिनांक 07.08.2013 के अन्तर्गत निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(i) मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी (स्थित कांगणी) की वर्ष 2012–2013 की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

प्रारम्भिक शेष	**8699267.19**
वर्ष में प्राप्त आय	37276681.60
वर्ष में प्राप्त ब्याज	514475.00
कुल योग	**46490429.79**
वर्ष में भुगतान की गई राशि	29017037.00
शुद्ध जमा राशि	**17473392.79**

(ii) बैंक बचत खातों के अनुसार अन्तिम शेष की राशि का विवरण (31.3.2013)

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक सरकाघाट	6623	450974
2	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक अवहादेवी	103	306804
3	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक चौंतड़ा	4123	1729976
4	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक नगवाई	2805	936566
5	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक बलदवाड़ा	4770	412399
6	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक चैलचौंक	1129	810588
7	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक मण्डी	5182	1435646.47
8	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक सुन्दरनगर	7290	663518.86
9	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक धनोटू	104	6772473.00
10	स्टेंट बैंक ऑफ पटियाला तत्तापानी	163571	2524443.07
11	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक मण्डी	28764	35412.00
12	आई0डी0बी0आई0 बैंक मण्डी	2448	1247847.60
13	इंडियन ओवरसीज बैंक मण्डी	5868	1477.79
		कुल योग	**17328125.79**

(iii) बैंक समाधान विवरणिकाः–

रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष	17473392.79
बचत खातों में जमा राशि	17328125.79
अन्तर	**145267**

निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड़ वही में आय की प्रविष्टियां दर्ज की गई थी परन्तु चैक बैंक में जमा नहीं हुए थे।

1	HP. Co-Operative Bank Chailchowk Ch. No. 0382748	dt 31.12.12	92940
2	HP. Co-Operative Bank Nagwain Ch No. 45100	22.3.2012	15928
	HP. Co-Operative Bank Nagwain Ch No. 03		33600
	HP. Co-Operative Bank Nagwain Ch No. 04		2800
		कुल योग	**145268**
3	गत वर्ष में IDBI बैंक में अधिक जमा		(–) 1
		कुल योग	**145267**

(iv) मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित ₹145268/– का बैंक में जमा न पाया जानाः–

उक्त वर्णित बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार हिमाचल प्रदेश को ओपरेटिव बैंक चैलचौंक से संख्या 392749 दिनाँक 31.12.12 द्वारा जमा दर्शाई गई ₹92940/– तथा हिमाचल प्रदेश को–ओपरेटिव बैंक नगवाई में चैक 45100, 03 तथा 04 द्वारा जमा दर्शाई गई ₹52328/– (₹15928+₹33600+₹2800), जोकि रोकड़ बही में आय के रूप में जमा की गई है परन्तु अभी तक बैंक में जमा नहीं हुई है, एक गम्भीर अनियमितता के प्रकरण को उजागर करती है। अतः उक्त अन्तर की राशियों का मिलान का अनुपालना से यथाशीध्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(vi) निवेशः–

विपणन समिति मण्डी द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधि योजना में कोई निवेश नहीं किया गया था।

(v) तुलन–पत्रः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) का दिनांक 31.3.13 तक का तुलन–पत्र **परिशिष्ट "ख"** मे संलग्न है। तुलन पत्र में वर्णित आंकड़े मण्डी समिति की आय तथा व्यय के आंकड़ों में मेल नहीं खाते है। अतः चार्टिड अकाऊटैंट द्वारा तैयार किए गए तुलन पत्र के आंकड़ों तथा मण्डी समिति के आय तथा व्यय के आंकड़ों के अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए इनका मिलान किया जाए।

5 **निर्माण कार्य से सम्बन्धित ₹7192619/– के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करनाः–**

अंकेक्षण अवधि के दौरान कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु डिपाजिट वर्क के रूप में हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास निम्नविवरणानुसार ₹7192619/– जमा करवाई गई थी जिससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

वा0सं0	दिनाँक	कार्य क्षेत्र का नाम	राशि
34	2.5.12	Sub. Marketyard Karsog and Takoli	1781657
107	5.7.12	SMY Karsog	2500000
120	23.7.12	Water Supply Scheme Kangni	166100
223	1.10.12	SMY Joginder Nagar	95854
274	20.11.12	SMY Dhanontu	192678
311	18.12.12	SMY Karsog	576662
335	11.1.13	SMY Kangni	466795
350	23.1.13	SMY Karsog and Takoli	594423
379	18.2.13	SMY Takoli	818450
		कुल योग	**₹7192619**

अतः उपरोक्त विवरणानुसार जमा करवाई गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त पूर्व अवधि के भी शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

6 **दुकानों के लम्बित किराए के रूप में वसूली योग्य ₹1246529/–का शेष पाया जानाः–**

मण्डी समिति के किराए के मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2013 तक निम्विवरणानुसार दुकानदारों से किराए के रूप में ₹1246529/–की वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर भी दिया गया है। इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु लम्बित रहना स्वतः ही चिन्ताजनक है जिससे निश्चित तौर पर मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति पर तो प्रतिकूल असर पड़ा ही है तथा साथ में मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित रहने के कारण अनावश्यक रूप से हानि

उठानी पड़ रही है। अतः किराए की लम्बित बकाया राशियों की विहित अनुदेशों/शर्तों के अनुसार तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

यार्ड का नाम	शेष राशि
कांगणी यार्ड	622069
धनोट यार्ड	370360
जोगिन्द्र नगर यार्ड	30000
पाली यार्ड	800
टकोली यार्ड	223300
कुल योग	**₹1246529**

7 विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गई अग्रिम ₹80,000/– का समायोजन न करनाः–

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी द्वारा समय–समय तक विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम राशियाँ जारी की गई थी जिन में से दिनाँक 31.3.13 को निम्नविवरणानुसार का ₹80000/– समायोजन नहीं किया गया। अतः इन अग्रिमों के समायोजन लेखें अंकेक्षण में जाँच हेतु शीघ्र प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाए।

क्र0 सं0	अग्रिम प्राप्तकर्ता	वा0सं0/दिनाँक	अग्रिम का उद्देश्य	राशि
1	श्री जिया लाल, लिपिक	126/9.9.08	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2000
2	श्री चौहान सिंह, चपड़ासी	201/10.12.08	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2000
3	श्री राम, लिपिक	259/11.2.09	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2000
4	श्री राम, लिपिक	04/25.4.09	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2000
5	श्री राम, लिपिक	47/25.6.09	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2000
6	श्री हरमेश सिंह, ड्राईवर	22/11.4.12	पैट्रोल व गाड़ी मुरम्मत	20000
7	श्री तेजराम कश्यप	367/6.2.13	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	30000
8	श्री गुरनाम सिंह	375/16.2.13	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	20000
			कुल योग	**₹80000**

8 बिना लाईसैसधारी व्यक्तियों से दण्ड शुल्क की पाँच गुणा तक वसूली न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन अधिनियम 2005 की धारा–75 (1) (ए) व (बी) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना लाईसैन्स के कृषि उपज का क्रय–विक्रय करता है तो समिति को एक प्रतिशत मण्डी शुल्क के अलावा 1 से 5 गुणा तक दण्ड शुल्क वसूलने का अधिकार है, परन्तु निम्नलिखित प्रकरणों में यह पाया गया कि बिना लाईसैन्सधारी व्यक्तियों से चैकपोस्टों पर निम्नविवरणानुसार दो प्रतिशत की दर से ही मण्डी की वसूली की गई जबकि इनसे दण्ड शुल्क के रूप में मण्डी शुल्क की 5 गुणा तक वसूली की जानी अपेक्षित थी। अतः इस दण्ड शुल्क की 5 गुणा तक वसूली न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

व्यापारी का नाम	चैकपोस्ट का नाम	रसीद संख्या व दिनाँक	वस्तु का नाम व मात्रा	कीमत	मण्डी शुल्क का एक प्रतिशत	मण्डी शुल्क का दो प्रतिशत जो वसूला गया	दण्ड शुल्क/मण्डी शुल्क पाँच गुणा वसूला जाना था
श्री संजय	पुंछ	73545 30.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री रूप लाल	पुंछ	73547 30.3.13	मटर	12500	125	250	625
श्री राजकुमार	पुंछ	73548 30.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री मनू राम	पुंछ	73549 30.3.13	मटर	12500	125	250	625
श्री सोमदेव	पुंछ	73550 30.3.13	मटर	12500	125	250	625
श्री मनोज	पुंछ	73551 30.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री छोटू	पुंछ	73553 30.3.13	केटल	7500	75	150	375
श्री जय सिंह	पुंछ	73556 31.3.13	केटल	5000	50	100	250
श्री दिला राम	पुंछ	73558 31.3.13	मटर	10000	100	200	500
श्री सोनू	पुंछ	73559 31.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री राकेश	पुंछ	73560	मटर	15000	150	300	750

		31.3.13					
श्री दिनेश	पुंछ	73561 31.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री मनोहर	पुंछ	73562 31.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री ज्ञान	पुंछ	73564 31.3.13	मटर	12500	125	250	625
श्री सुनील	पुंछ	73565 31.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री विजय	पुंछ	73566 31.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री नरेश	पुंछ	73568 31.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री सन्नी	पुंछ	73569 31.3.13	मटर	15000	150	300	750
श्री अनील	पुंछ	77699 29.3.13	मटर	10000	100	200	500
श्री सोमा	पुंछ	77663 12.2.13	मक्की	80000	800	1600	4000

9 विभिन्न फर्मों द्वारा वाणिज्य वस्तुओं के क्रय–विक्रय पर 1% की दर से मण्डी शुल्क की राशि को समय पर जमा न करवाने की स्थिति में समिति द्वारा दण्ड शुल्क के रूप में ₹407016/–की कम वसूली करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन अधिनियम, 2005 की धारा–45 (2) के अनुसार वाणिज्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय पर एक प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क 14 दिन के अन्दर समिति के कार्यालय में जमा करवाना अपेक्षित होता है। अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा ऐसी प्रक्रिया न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 45 (3) के अनुसार कमेटी को दण्ड शुल्क का पांच गुणा वसूलने का अधिकार है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट "घ"** पर दिए गए विवरण के अनुसार अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा लम्बे समय तक भी मण्डी शुल्क जमा न करने पर भी समिति द्वारा दण्ड शुल्क की नियमानुसार वसूली न करके ₹407016 की कम वसूली की गई जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 लाईसैंसधारियों व्यापारियों द्वारा रिटर्न के सम्बन्धित जमा करवाए गए फार्म "ओ" के साथ "आर" व फार्म "क्यू" अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

विपणन विधेयक अधिनियम 2005 व नियम 2006 की धारा 30 (17) की अनुपालना में सभी कमीशन अभिकर्ता द्वारा रिटर्न से सम्बन्धित "ओ" फार्म के साथ फार्म "आर" की प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित वाऊचर APMC कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार उनके द्वारा "क्यू" फार्म भी जमा करवाना अनिवार्य है। मण्डी समिति मण्डी द्वारा अंकेक्षण के दौरान विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों के "आर" व "क्यू" फार्म अभिलेख के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि व्यापारियों द्वारा किए गए क्रय–विक्रय की मात्रा, मूल्य व राशि इत्यादि का सत्यापन सम्भव हो सके।

11 लाईसैन्सधारी व्यापारियों की मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्न प्रस्तुत न करनाः–

निम्नलिखित लाईसैन्सधारी व्यापारियों की मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्न अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिन्हें यथाशीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमाँक	फर्म का नाम	अवधि
1	मै0 अमर चन्द एण्ड ब्रदर्ज नैरचौंक	20.9.12 से 31.3.13
2	मै बालक राम एण्ड सन्ज नैरचौंक	1.9.12 से 31.3.13
3	मै0 बाबू राम राज कुमार नैरचौंक	1.10.12 से 31.3.13
4	मै0 महाजन फूड प्राइवेट लिमिटेड भांवला	1.10.12 से 31.3.13
5	मै0 गुरवा ट्रेडर महादेव	18.5.12 से 31.3.13
6	मै0 तरसेम लाल एण्ड सन्ज मौर	1.3.13 से 31.3.13
7	मै0 राणा एन्टर प्राईजिज	30.5.12 से 31.3.13
8	मै0 रामवास बरशी राम बलद्वाडा	21.6.12 से 31.3.13
9	मै0 अमर नाथ एण्ड क0 बतैल	21.5.12 से 31.3.13
10	मै0 श्यामा फूड प्रोडेक्ट भावला	1.6.12 से 31.3.13
11	मै0 नडडा फूड प्रोडक्ट भावला	1.6.12 से 31.3.13
12	मै0 मक्खन लाल प्रकाश चन्द समैला	1.6.12 से 31.3.13

13	मै0 इन्द्र जनरल स्टोर फतेहपुर	21.6.12 से 31.3.13
14	मै0 अन्न पूर्णा चक्की फ्लोर मिल्स नेरचौंक	21.6.12 से 31.3.13
15	मै0 हिमालय फूड सपाईसस इन्डस्ट्री नैकचौंक	1.5.12 से 31.3.13
16	मै0 एस0बी0 ट्रेडिंग क0	1.9.12 से 31.3.13
17	मै0 एन0डी0 ट्रेडिंग क0 कनैड	1.9.12 से 31.3.13
18	मै0 राम रखामल सरकाघाट	31.3.13 से 31.3.13
19	मै0 पुरूषोत्तम दास छजू राम सरकाघाट	30.5.12 से 31.3.13
20	मै0 विजय कुमार एण्ड गुप्ता सरकाघाट	30.5.12 से 31.3.13
21	मै0 तेलू राम अमृत सरिया सरकाघाट	30.5.12 से 31.3.13
22	अन्नपूर्णा चक्की फ्लोर मिल्स चक्कर	1.9.12 से 31.3.13
23	मै0 मोहिन्द्र एण्ड ब्रदर्ज नैरचौंक	1.9.12 से 31.3.13
24	मै0 कोयला इन्डस्ट्री	1.3.13 से 31.3.13
25	मै0 नारायण दास एण्ड क0 धनोटू	1.4.12 से 31.3.13
26	मै0 हरीश कुमार एण्ड क0 मण्डी	1.4.12 से 31.3.13
27	मै0 कृष्णा फ्रूट क0 मण्डी	1.4.12 से 31.3.13
28	मै0 हरीश कुमार फ्रूट कं0 मण्डी	1.4.12 से 31.3.13
29	मै0 प्रकाश चन्द एण्ड कं0 मण्डी	1.4.12 से 31.3.13
30	मै0 बीरबल फ्रूट कं0 मण्डी	1.4.12 से 31.3.13
31	मै0 जगजीत फ्रूट कं0 मण्डी	1.4.12 से 31.3.13
32	मै0 श्याम वेजिटेबल ट्रेडर	1.4.12 से 31.3.13
33	मै0 चन्द फ्रूट कं0	1.4.12 से 31.3.13

12 पूर्वाकेंक्षण के दौरान की गई ₹57688/– की कटौती के बोर में:–

विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी) द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान अंकेक्षण में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए बिलों को पारित करते समय निवासी अंकेक्षण योजना में पूर्व अंकेक्षण के दौरान ₹57688/–की कटौती की गई, जोकि समिति द्वारा अधिक/अनियमित भुगतान हेतु पारित किए गए थे। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में ऐसी चूक से परिहार किया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)124 / 88 खण्ड—6—5772—75 दिनांक, 20. 09.14 शिमला—9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृतः 1 सचिव, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी (स्थित कांगणी), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला—171002

3 अवर सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002

4 अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट "A"

(पैरा 1 (V) के सन्दर्भ में)

कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी (स्थित कांगणी) के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरों/आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियाँ न करना, बिना लाईसैन्सधारकों के कम्पाऊंड शुल्क की वसूली न करना, दुकानों के किरायों की बकाया राशि की वसूली न करना व अन्य अनेक आपत्तियाँ उज़ागर की गई है। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल गम्भीर अनियमितताओं तथा वसूलियों के प्रकरणों में तुरन्त उचित कार्रवाई किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के अतिरिक्त अन्य पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढ़ंग से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/99

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा-6	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–13 (3)	निर्णीत
4	पैरा–16	अनिर्णीत
5	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–19 (11) (15) (16) (18)	अनिर्णीत
7	पैरा–22	अनिर्णीत
8	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (क) (2, 3, 4)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–15	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा–10 (3, 4)	अनिर्णीत
2	पैरा–11	अनिर्णीत
3	पैरा–15	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (ख)	निर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–14	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (i)(ii)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–13	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–5 (ii)(iii)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (iii)	निर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण पतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा–4	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	निर्णीत
4	पैरा–6 (क, ख)	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–7	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (क, ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–10	निर्णीत
9	पैरा–11	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
10	पैरा–12	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
11	पैरा–13	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	54
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 10
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 11
अन्तशेष (दिनाँक 31.3.14 तक)	